Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
बलवीर बनाम किसनाराम वगै.

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 38 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता लालचन्द जाट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0एडी. नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत बहस,प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो की अप्रार्थीगण 1 प्रार्थी के हक हिस्से तक आगामी तारीख पेशी तक मौजा रोही आडसर खसरा नम्बर 87 रकबा 5.02 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 3.35 है0, खसरा नम्बर 539 रकबा 4.37 है0 कुल रकबा 13.10 है0 भूमि मे प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड एवं पंजीयन की यथास्थिति बनाए रखे । प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 30.05.2024 को पेश हो। Rajendra	जारी 344 18/3/24
30/05/24	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश , अन्य कार्यो में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 18/07/24 को पेश हो। रीडर	
20/06/24	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गयी। जरिये प्रार्थना पत्र विड्रोवल प्रार्थना पत्र मय अदालत वाद पर RTA पेश किया जाकर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र RTA वाद इसी स्टेज पर जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम में मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर तामिल इन्द्राज हो। Rajendra	बकालमी 2 [illegible]